an>

Title: Need to provide compensation to farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for damage to their crops caused by wild animals.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) ः मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरेली (गुजरात) में नील गाय, सुअरों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के मामलों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक अति महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना है जो कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, अत्यधिक वर्षा, सूखा इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार का एक सराहनीय कदम है। इस योजना से किसानों का कृषि कार्य करने में रूझान बढ़ा है और अधिक से अधिक लोग कृषि कार्य से जुड़ रहे हैं जिससे कि देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

नील गाय, भुंड (सुअर) तथा अन्य जानवरों के द्वारा भी किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है जिसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समावेश नहीं होने के कारण सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा नहीं प्राप्त होता है एवं किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के जानवरों द्वारा नष्ट की गई फसलों के नुकसान की भरपाई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत समावेश करने की योजना किसान हित में लागू की जाये।